फर्द अहकाम

बनवारी बनाम मालीराम

नाम न्यायालय A.C. आमेर जि. जयपुर

केस संख्या 6/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	6/5/25	पत्रावली आज दिनांक 6/5/25 को पेश हुई। [illegible] डिस्ट्रिक्ट एड. बार ए[illegible] [illegible] की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/5/25 को पेश हो।
	9/5/25	पत्रावली आज दिनांक 9/5/25 को पेश हुई। [illegible] [illegible] एसो. जयपुर द्वारा [illegible] की जाने [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 15/5/25 को पेश हो।
	15/5/2025	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/5/25 को पेश हो।
	22/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वा.फ. उप.। प्रा० पत्र 07 R 11 पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र हेतु दिनांक 28/5/25 को पेश हो। 10/11 02 R 2
	28/5/25	आज दि. 28/5/25 को पत्रावली पेश हुई। पी.ओ.सा. अवकाश [illegible] है। अतः पत्रावली दिनांक 3/6/25 को पेश हो।
	3/6/2015	पत्रावली प्रस्तुत। वा.फ. उप.। प्रा० पत्र 07 R 11 धारा 11(5) एवं आदेश 2 नियम 2 स्वीकार किया [illegible] [illegible] खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय [illegible] पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:39:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 06/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक –08.01.2025

1. बनवारी पुत्र स्व. श्री मोतीराम जाति रैगर, निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर राजः ।
2. ममता पुत्री स्व. श्री मोतीराम, पत्नी लालाराम जाति रैगर निवासी– ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूं जिला जयपुर राज. ।

.....वादीगण

बनाम

1. मालीराम पुत्र मांगू जाति धानका निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर राज. ।
2. भूरी पत्नी स्व. श्री मोतीराम, जाति रैगर निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर राज. । (फोत दावा दायर से पूर्व)
3. मोहन पुत्र स्व. नोन्दा उम्र 57 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर राज. ।
4. संतोष मीणा पत्नी महावीर सिंह जाति मीणा निवासी वार्ड नम्बर 21 रानी सती मन्दिर पिलानी जिला झुन्झुनू।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ।
6. उप पंजीयक महोदय रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ।

.....प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11(4) एवं आदेश 2 नियम 2 एवं आदेश– 7 नियम – 11 सीपीसी 1908

उपस्थिति :– (1) श्री गौरीशंकर शर्मा – अधिवक्ता वादीगण की ओर से
(2)श्री बनवारी शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
(3)श्री ब्रजराज गौतम – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से

दिनांकः– 03.06.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:39:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत निरस्तीकरण वाद अन्तर्गत आदेश अन्तर्गत धारा 11(4) एवं आदेश 2 नियम 2 एवं आदेश– 7 नियम – 11 सी.पी.सी. पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा वाद श्रीमान न्यायालय मे बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है कि भूमि खसरा नम्बर 510 रकबा 2

बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 889 रकबा 0.52 हैक्टेयर वाके ग्राम जयरामपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर का वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का भी अनुतोष चाहा गया है । प्रतिवादी संख्या 3 मोहन पुत्र स्व. नोन्दा द्वारा एक दावा माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 मे वर्णित भूमि के सम्बन्ध मे दिनांक 10.06.2019 को वाद संख्या 48/2019 मोहन बनाम मालीराम व अन्य प्रस्तुत किया था उक्त वाद मे वादीगण को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के रूप मे पक्षकार बनाया था उक्त दावे के नोटिस वादीगण को तामील हुये थे तथा वादीगण के खिलाफ दिनांक 7.08.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित हुये तथा दावे का अंतिम रूप से निस्तारण दिनांक 9.10.2024 को हो चुका है उक्त दावे मे वादीगण को दावे के तथ्यो की जानकारी होने के बाद भी पैरवी नही की ना ही उक्त दावे मे उपस्थित होने बाबत कोई कार्यवाही की उक्त दावे मे तनकीयात कायम की गयी थी तथा उक्त दावे व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे के पक्षकार एक ही है तथा पूर्व के दावे व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे का वाद विषय भी दावे का वाद विषय भी एक ही एवं वादग्रस्त सम्पत्ति भी एक ही है वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नही होने के कारण तथा दावा पूर्व न्याय के सिद्वान्त के आधार पर चलने के काबिल नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है वादीगण को प्रतिवादी संख्या 3 मोहन द्वारा प्रस्तुत दावा मोहन बनाम मालीराम की जानकारी माह जुलाई 2019 में हो गयी थी इसलिये वादीगण का वाद मियाद बहार होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने इस दावे मे पूर्व के वाद से सम्बन्धित तथ्यो का उल्लेख नही किया तथा तथ्यो को छिपाकर दावा प्रस्तुत किया है वादीगण क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुये है तथा वादीगण ने विवादित भूमि के सम्बन्ध मे पूर्व के दावे की जानकारी होने के बाद भी कोई कार्यवाही क्यो नही की कारण अंकन नही किया है ना ही मियाद के विषय में अपने दावे मे कोई तथ्य अंकन किये है इसलिये वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया विधिक रूप से खारिज किये जाने योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि एक ही वाद विषय के सम्बन्ध मे न्यायालय द्वारा एक ही पक्षकारो के बीच के विवाद को निस्तारित कर दिया जाता है तो विधिक रूप से उसी वाद विषय के सम्बन्ध मे अन्य दावा कानूनन चलने के काबिल नही है इसलिये वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 2 भूरी पत्नी मोतीराम वादीगण संख्या 1 व 2 की माता है तथा श्रीमति भूरी देवी का स्वर्गवास दिनांक 10.01.2023 को हो चुका है फिर भी वादीगण ने तथ्यो को छुपाते हुये अपनी माता को जीवित बताते हुये मृतक के खिलाफ दावा प्रस्तुत किया है ताकि दावा लम्बी अवधि तक चलता रहे वादीगण द्वारा दावा प्रतिवादी संख्या 2 भूरी मृतक के खिलाफ जानबूझकर अदालत को गुमराह करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है दावा मृतक के खिलाफ कानूनी रूप से चलने के काबिल नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है । वादीगण ने प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 को दावे में पक्षकार बनाया है मगर दावे मे पक्षकार बनाने का कोई कारण अंकन नहीं किया है जबकि वादीगण को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 ने उक्त विवादग्रस्त भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 10:39:25 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर
जयपुर

जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 मालीराम से कय कर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 4 के नाम राजस्व रिकार्ड मे भी भूमि दर्ज हो चुकी है वादीगण ने दावे मे उक्त तथ्य का अंकन नही किया है तथा तथ्यो को छिपाकर दावा प्रस्तुत किया है। जबकि यह विधि का यह सिद्वान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ दावा कानूनी रूप से चलने के काबिल नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर ना तो वादीगण का कब्जा है ना ही राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का नाम है बल्कि प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 4 भूमि की रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है दावा पूर्व न्याय के सिद्वान्त के आधार पर मियाद बहार होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 4 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पूर्व न्याय के सिद्वान्त व विधि द्वारा वर्जित होने व मियाद बहार होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि माननीय न्यायालय के समक्ष मोहन लाल द्वारा वाद संख्या 48 / 2019 मोहन बनाम मालीराम व अन्य प्रस्तुत किया गया था। परन्तु मोहन लाल द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 मालीराम से मिलीभगत कर वाद संख्या 48 / 2019 को विड्रो कर लिया गया था। जबकि वाद संख्या 48 / 2019 में मिन उत्तरदाता के भी हक व अधिकारों का निर्धारण होना था, जो वाद संख्या 48 / 2019 के विड्रो होने के कारण मिन उत्तरदाता के अधिकारों का निर्धारण नही होने से होने से मिन उत्तरदाताध्वादी द्वारा उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पूर्व वाद एवं मिन उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत वाद में पक्षकार भिन्न भिन्न हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि घोषणा के वाद में मियाद का बिन्दू लागू नही होता हैं। पूर्व वाद के वादी मोहन द्वारा वर्ष 2019 में वाद प्रस्तुत किया गया था परन्तु मोहन द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 मालीराम से मिलीभगत कर दिनांक 9 / 10 / 2024 को विड्रो कर लिया गया । तत्पश्चात उक्त मालीराम द्वारा उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 जब संतोष मीणा पत्नी महावीर सिंह को विक्रय कर दिया गया, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा मौके पर मिन उत्तरदाता को बेदखल करने गया तब मिन उत्तरदाता के जानकारी में आया कि मोहन लाल द्वारा प्रस्तुत वाद विड्रो कर लिया गया है जिस पर मिन उत्तरदाता ने अविलम्ब अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त प्रकरण पर मियाद का बिन्दू लागू नही होता हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण को देरी करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है जो कि [illegible] होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। मिन उत्तरदाता द्वारा [illegible] वाद में किसी भी तथ्य को नही छिपाया गया है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि घोषणा के वाद में कोई मियाद का बिन्दू लागू नही होता है। प्रार्थी द्वारा जवाब पेश करने कर प्रकरण में देरी करने गरज से पेश किया हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा उठाये गये तथ्य साक्ष्य सबूत का विषय है जिनका

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:39:25 IST
Reason: SelfAttested

निरस्तारण तनकीयात कायम कर किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बलहीन व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। जैसा कि उपरोक्त मदो में स्पष्ट किया जा चुका है कि मिन उत्तरदाता द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कोई वाद पूर्व में प्रस्तुत नही किया गया है बल्कि पूर्व में जो वाद प्रस्तुत किया गया था वह प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 मिलीभगत कर विड्रो कर लिया गया है। इस कारण मिन उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत वाद किसी भी प्रकार से विधि द्वारा वर्जित वाद नही हैं। बल्कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब पेश नही कर प्रकरण को डिले करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या कथनो पर पेश किया है, जो मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने योग्य हैं। मिन उत्तरदातागण द्वारा अपने वाद पत्र के उनवान में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम के आगे यह स्पष्ट अंकित किया कि ''फौत दावा दायरी से पूर्व'' व सजरा खानदान में ''फौत'' स्पष्ट अंकित किया हैं। मिन उत्तरदातागण ने किसी भी प्रकार से मृतक व्यक्ति को पक्षकार बनाकर वाद पेश नही किया है केवल मात्र वारिस होने के कारण नाम अंकित हैं। परन्तु प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 7 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि मिन उत्तरदातागण ने अपने वाद पत्र के मद संख्या 11 में यह स्पष्ट अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 4 को गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि को बैचान कर दिया। इस कारण प्रतिवादी संख्या 4 को पक्षकार बनाया गया हैं। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है बल्कि उक्त भूमि पर मिन उत्तरदातागण काबिज काश्त हैं । यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 8 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार है। उक्त भूमि पर आज भी कब्जा मिन उत्तरदातागण के पास हैं। मिन उत्तरदाता ने अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्या पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तामील होने के पश्चात प्रार्थी के लिये यह आवश्यक था कि वे अपने समस्त उज्रात अपने जवाब दावे में लेकर आते किन्तु प्रार्थी द्वारा अपना जवाब दावा समय सीमा में प्रस्तुत नही कर वाद देरीना किये जाने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र अनुसार पूर्णतः विधि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी प्रकार आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के किसी भी प्रावधान के विपरीत नही हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:39:25 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस तथा प्रत्रावली का अवलोकन किया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

वादीगण द्वारा वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है कि भूमि खसरा नम्बर 510 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 889

रकबा 0.52 हैक्टेयर वाके ग्राम जयरामपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर का वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का भी अनुतोष चाहा गया है उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 3 मोहन पुत्र स्व. नोन्दा द्वारा एक दावा दिनांक 10.06.2019 को वाद संख्या 48/2019 मोहन बनाम मालीराम व अन्य इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था उक्त वाद मे वादीगण को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के रूप मे पक्षकार बनाया था उक्त दावे के नोटिस तामील होने के उपरान्त वादीगण के खिलाफ दिनांक 7.08.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा दावे का अंतिम रूप से निस्तारण दिनांक 9.10.2024 को हो चुका है उक्त दावे मे वादीगण को दावे के तथ्यो की जानकारी होने के बाद भी पैरवी नही की ना ही उक्त दावे मे उपस्थित होने बाबत कोई कार्यवाही नही की, उक्त दावे मे तनकीयात कायम की गयी थी तथा उक्त दावे व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे के पक्षकार एक ही है तथा पूर्व के दावे व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे का वाद विषय भी दावे का वाद विषय भी एक ही एवं वादग्रस्त सम्पत्ति भी एक ही है। वादीगण ने इस दावे मे पूर्व के वाद से सम्बन्धित तथ्यो का उल्लेख नही किया तथा तथ्यो को छिपाकर दावा प्रस्तुत किया है वादीगण क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुये है है जो कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आदेश 2 नियम 2 एवं 151 सीपीसी से बाधित है। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 3 मोहन द्वारा प्रस्तुत दावा मोहन बनाम मालीराम की जानकारी माह जुलाई 2019 में हो गयी थी इसलिये वादीगण का वाद मियाद बहार होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। तथा वादीगण ने विवादित भूमि के सम्बन्ध मे पूर्व के दावे की जानकारी होने के बाद भी कोई कार्यवाही क्यो नही की कारण अंकन नही किया है ना ही मियाद के विषय में अपने दावे मे कोई तथ्य अंकन किये है इसलिये वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया विधिक रूप से खारिज किये जाने योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि एक ही वाद विषय के सम्बन्ध मे न्यायालय द्वारा एक ही पक्षकारो के बीच के विवाद को निस्तारित कर दिया जाता है तो विधिक रूप से उसी वाद विषय के सम्बन्ध मे अन्य दावा कानूनन चलने के काबिल नही है इसलिये वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 11(4) सीपीसी के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

प्रस्तुत तर्को के आधार पर वादीगण ने वाद क्लीन हैंड (Clean) से प्रस्तुत नहीं किया है। अर्थात् वादी का sustaintial cause of action, grossly delay and clearly vexatious and frivolous होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी में खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त पूर्व के दावे की जानकारी होने के बाद भी कोई कार्यवाही क्यो नही की कारण अंकन नही किया है ना ही मियाद के विषय में अपने दावे मे कोई तथ्य अंकन किये है इस प्रकार यह वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आदेश 2 नियम 2 एवं 151 सीपीसी से बाधित है तथा एक ही वाद विषय के सम्बन्ध मे न्यायालय द्वारा एक ही पक्षकारो के बीच के विवाद को निस्तारित कर दिया जाता है तो विधिक रूप से उसी वाद विषय के सम्बन्ध मे अन्य दावा कानूनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:39:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आर.ए.एस. जयपुर

चलने के काबिल नही है इसलिये वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 11(4) सीपीसी से बाधित एवं खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ (Barred by Law) साबित होने व वाद पत्र स्वच्छ हाथो (Clean Hand) से पेश नहीं करने, पूर्व न्याय के सिंद्धान्त के तहत धारा 11(4) सीपीसी तथा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आदेश 2 नियम 2 एवं 151 सीपीसी से बाधित होने पर पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आदेश 2 नियम 2 एवं 151 एवं धारा 11(4)सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:39:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 6 / 2025
बजनवानी – बनवारी बनाम मालीराम
निर्णय दिनांक – 03.06.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 06 / 2025

वाद प्रस्तुति दिनांक –08.01.2025

1. बनवारी पुत्र स्व. श्री मोतीराम जाति रैगर, निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर राज ।
2. ममता पुत्री स्व. श्री मोतीराम, पत्नी लालाराम जाति रैगर निवासी– ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूं जिला जयपुर राज. ।

.....वादीगण

बनाम

1. मालीराम पुॅत्र मांगू जाति धानका निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर राज. ।
2. भूरी पत्नी स्व. श्री मोतीराम, जाति रैगर निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर राज. । (फोत दावा दायर से पूर्व)
3. मोहन पुत्र स्व. नोन्दा उम्र 57 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर राज. ।
4. संतोष मीणा पत्नी महावीर सिंह जाति मीणा निवासी वार्ड नम्बर 21 रानी सती मन्दिर पिलानी जिला झुन्झुनू।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला
6. उप पंजीयक महोदय रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ।

......प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आदेश 2 नियम 2 एवं 151 एवं धारा 11(4) सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 03.06.2025 को जारी किया।

दस्तखत–––

ओहदा–––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:39:25 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दालेह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये		स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		